सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 185A/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

दुर्गाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ बलाई निवासी उगाई तहसील केकडी

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

-----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि.

निर्णय

दिनांक 21.6.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सरसडी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । उपस्थित पक्षकारान को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा **136 राज**. भू–राजस्व अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम उगाई तहसील केकडी की** जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 256 में दर्ज वादी का नाम दुर्गाप्रकाश पि. जगन्नाथ का नाम दर्ज है। वादी श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र जगन्नाथ बलाई द्वारा उक्त खाता स. 256 में दुर्गाप्रकाश के स्थान पर दुर्गाप्रसाद किये जाने हेतु वादीगण द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । तहसीलदार केकडी भू.अभि. निरी. व पटवारी हल्का द्वारा जांच दस्तावेज अुनसार ग्राम उगाई के खाता स. 256 में दुर्गाप्रकाश के स्थान पर दुर्गाप्रसाद किया जाना उचित बताया है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का द्वारा ग्राम उगाई के खाता स. 256 में जांच दस्तावेज अुनसार दुर्गाप्रकाश के स्थान पर दुर्गाप्रसाद अंकन किये जाने हेतु संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया । बाद अवलोकन ग्राम उगाई के खाता स. 256 में दर्ज वादी का नाम दुर्गाप्रकाश के स्थान पर दुर्गाप्रसाद का दुरूस्ती कर अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **दुर्गाप्रकाश पि. जगन्नाथ** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी **दुर्गाप्रकाश पि. जगन्नाथ** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **दुर्गाप्रकाश पि. जगन्नाथ** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 21.6..2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सरसडी में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुभार हो नम्बर से कम हो। निर्णय शामिल पत्रावली किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी